संख्या-74/2022/691/001-23-9-2022-3अन्य/2018

प्रेषक,

प्रभुनाथ,
विशेष सचिव,
उ0प्र0शासन

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ

लोक निर्माण अनुभाग-9 लखनऊ: दिनांक 02 अगस्त, 2022

विषय वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-58 के अन्तर्गत कृषि विपणन सुविधाओं हेतु राजस्व ग्राम/बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्ग से जोड़ने हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों का नवनिर्माण/पुनर्निर्माण/मिसिंग लिंक एवं अन्य ग्रामीण मार्गों के 06 चालू कार्यो पर धनराशि आवंटित किये जाने के संबंध में।

महादेय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता(मु-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र सं0-348/सीई-एचक्यू1/एवी/जीकेपी/2022-23, दिनांक 18.07.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें ।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अन्जुड़ी बसावट योजनान्तर्गत विभिन्न जनपदों के कुल 06 कार्यो हेतु निम्न तालिका के स्तम्भ-4 में उल्लिखित शासनादेशों द्वारा प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उक्त 06 चालू कार्यो पर वित्तीय वर्ष 2022-23 में तालिका के स्तम्भ-9 के अनुसार निम्न विवरणानुसार कुल रू0 1,01,10,000/- (रूपये एक करोड़ एक लाख दस हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्रम सं0	जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत / लागत मूल	अब तक आवंटित धनराश	बचत	अद्यतन अवशेष	वित्तीय वर्ष 2022-23 में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	कुशीनगर	भैंसा डाबर सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण का कार्य।	43/2021/आ0-150/23-9-2020-05स0मा0/2020, दि0 24.02.2021	84.77	67.82	15.70	1.25	1.25
2	कुशीनगर	कसया मथौली मार्ग से इण्टरमीडिएट कालेज होते माफी टोला तक सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण का कार्य।	43/2021/आ0-150/23-9-2020-05स0मा0/2020, दि0 24.02.2021	98.87	79.1	7.52	12.25	12.25
3	कुशीनगर	कुरमौटा मंझरिया होते (बड़ा टोला) हुए नरकटिया बाजार तक सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण का कार्य।	43/2021/आ0-150/23-9-2020-05स0मा0/2020, दि0 24.02.2021	129.44	103.55	14.07	11.82	11.82
4	कुशीनगर	लौगरापुर पचखेड़ा स्थान से महुआडीह बैतौली पंचायत भवन तक सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण का कार्य।	43/2021/आ0-150/23-9-2020-05स0मा0/2020, दि0 24.02.2021	67.75	54.20	9.00	4.55	4.55
5	कुशीनगर	नयका छपरा से जुड़ौनिया सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण का कार्य।	43/2021/आ0-150/23-9-2020-05स0मा0/2020, दि0 24.02.2021	94.22	10.36	16.19	67.67	67.67
6	कुशीनगर	तीरथनगर चैराहे से पिपरी हेड तक सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण का कार्य।	43/2021/आ0-150/23-9-2020-05स0मा0/2020, दि0 24.02.2021	102.50	82.00	16.94	3.56	3.56
7		**योग**						**101.10**

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजना पर ही मानक व विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) उक्त मार्गो को निर्धारित मानकों के अनुसार गुणवत्तामरक पूर्ण कराकर उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं फोटोग्राफ शासन को उपलब्धर कराया जाय।

(3) स्तम्भ-4 में अंकित शासनादेश सं0-43/2021/आ0-150/23-9-2020-05स0मा0/2020, दि0 24.02.2021 की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

(4) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अत: अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,01,10,000 (रुपये एक करोड़ एक लाख दस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 058 **लेखा शीर्षक** 5054043371500 कृषि विपणन सुविधाओं हेतु राजस्व ग्राम/बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों का नवनिर्माण/पुननिर्माण/मिसिंग लिंकएवं अन्य ग्रामीण मार्गों के चालू कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था**मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्यके नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(प्रभुनाथ)
विशेष सचिव।

संख्या-74/2022/691(1)/001-23-9-2022-3अन्य/2018, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0 प्रयागराज ।
2- जिलाधिकारी, कुशीनगर।
3- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।
4- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कुशीनगर।
6- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
8- संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
9- संबंधित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता , लो0नि0वि0।
10- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 /वित्त (आय-व्ययक), अनुभाग-2, उ0प्र0शासन ।
11- लोक निर्माण अनुभाग-10/श्रम अनुभाग-2
12- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(शिव कुमार)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in